श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं गवर्नमेंट से इस बात का भी जवाब चाहूंगा कि जब यहां पर एक मर्तबा वह मामला 11 जजों की बेंच में चल रहा था, प्रीवी पर्स के संबंध का मामला तो उस केस को एडजर्न कर के क्या नेसेसिटी थी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश साहब लंदन किसी कांग्रेस में चले गये ? मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में कोई सफाई पेश करे।

MOTION FOR EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF THE REPORT OF THE JOINT COMMITTEE OF THE HOUSES ON THE PREVENTION OF WATER POLLUTION BILL 1969

SHRI CHAUDHARY A. MOHAMMAD (Bihar) : Sir, I beg to move—

"That the turn: appointed for the presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Prevention of Water Pollution Bill, 1969 be extended up to the last day of the first week of the Seventy-fifth (February-March, 1971) Session of the Rajya Sabha."

The question was put and tlte motion was adopted.

I. REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

II. REPORT OF THE COMMITTEE ON UNTOUCHABILITY, ECONOMIC AND EDUCATIONAL DEVELOPMENT OF THE SCHEDULED CASTES —*contd.*

श्री उपसभापति : राजनारायण जी। आपने पिछली बार करीब करीब 36 मिनट लिये हैं।

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : तो उससे क्या मतलब ?

श्री उपसभापति : अभी आप पांच सात मिनट ले लें।

श्री राजनारायण : हमको मालूम नहीं कि हम क्या बोले थे, कितना बोल चुके।

श्री गोडे मुराहरि (उत्तर प्रदेश) : उस सेशन में 36 मिनट तो इस सेशन में और 36 मिनट।

सभा के नेता (श्री के० के० शाह) : मेरी प्रार्थना है कि आज राजनारायण जी जो बोले हैं उतना इसमें से कम किया जाय।

श्री राजनारायण : अगर शेड्यूल्ड कास्ट से आप मज़ाक करना चाहें तो हम नहीं बोलेंगे और अगर कुछ तर्क सुनना चाहेंगे तो सुनिये। उस दिन देखिये मैं जेल से आया था, जहां पर कोई बोलने वाला नहीं था . . .

संसद्-कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : क्यों नहीं था ?

श्री राजनारायण : और मैं क्या बोल चुका हूं यह अब मुझे याद नहीं है। यह 7 तारीख की बात श्रीमन् आप कह रहे हो, उस दिन मैं जेल से आया था और मैं उस दिन क्या बोल चुका हूं मुझे मालूम नहीं।

SHRI K. S. CHAVDA (Gujarat) : Before he speaks, I would like to know how many hours are allotted for this discussion because in the other House 22 hour* were allotted for this.

SHRI OM MEHTA : Six hours have been allotted. To-day has been allotted for it but we can go on for 6 hours if you like.

SHRI K. S. CHAVDA : Twelve hour* should be given.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Last time we discussed this for one day. Today is the second day. We can discus* this to-day and if you want we may continue it tomorrow also.

SHRI K. S. CHAVDA : Suppose this goes on till five, the day will be over.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : When it was decided that we will have for six hours, we will have for six hour*.

श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) : श्रीमन्, इसका क्या मतलब है। यहां पर भी इसके

[श्री निरंजन वर्मा]

लिये पर्याप्त समय मिलना चाहिये । हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि वहां इसके लिये 22 घंटे दिये गये तो फिर इस सदन के माननीय सदस्यगण इस विषय में क्या विचार रखते हैं, उनको कृपा कर के अधिक समय दे कर के सुना तो जाना चाहिये ।

SHRI K. S. CHAVDA : How many hours are allotted?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Six hours.

SHRI K. S. CHAVDA : How can we do jus ace to this subject in that time?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please listen. Mr. Mehta says that if some Members still want to speak, the time can be further extended.

SHRI K. S. CHAVDA: We do not want mercy from anybody.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : He is giving the opinion of the Government. Members are not at the mercy of the Government or anybody.

SHRI MULKA GOVINDA REDDY (Mysore) : We should remember that in the last two years we never discussed these reports. Now only we are discussing these reports for the years 1966-67, 1967-68 and 1968-69 and in addition we are discussing the report on Untouchability, Economic and Educational Development of the Scheduled Castes as laid on the Table. We are discussing four reports and so it is but necessary that we should devote at least 12 hours on this and if we decide about the duration for this discussion, ve can also allot the time according to that to the different parties.

श्री उपसभापति : राजनारायण जी, अच्छा आप अपना भाषण जारी करें ।

श्री राजनारायण : उपसभापति महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । इस पर 20 घंटे से कम का समय आप सदन को न दें और मैं चाहता हूं—जरा मेरी बात को, मेरे तर्क को सुनिये, हंसिये मत, जब परिगणित जातियों से संबंधित समस्याओं पर इस समय विचा विनिमय हो रहा हो, उस समय अगर कोई हंसी करता है, तो मुझे पीड़ा होती है । जिस तरह से—1946 हम कह सकते हैं—1946 से कांग्रेस सरकार कायम है, आज 1970 हो गया, 24 वर्ष व्यतित हो गये, मगर परिगणित जातियों की समस्या का क्या समाधान हुआ ? हंसते हैं, यही कारण है कि उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है । इसी लिये मैं चाहता हूं, श्रीमन्, कि इस पर विवाद हो कि परिगणित जातियों की समस्याएं क्या हैं, वह कब तक परिगणित मानी जाती रहेंगी इस पर अच्छी तरह से विचार हो ताकि सरकार भी लोगों की बात को सुनकर समाधान निकाले ।

मैं, जब माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब हमको कहते हैं कि हम बोलें, उनसे कहना चाहता हूं . . .

विपक्ष के नेता (श्री श्याम नन्दन मिश्र) : रिकैपिचुलेट कर दें जो आप पहले वाले ।

श्री राजनारायण : मैं समझता हूं पहली बार हम बोले होंगे, हमको याद नहीं है, मगर एक बात मैं नये ढंग से शुरू कर रहा हूं । यह जो कमीशन की रपट है, कमीशन की रपट में परिगणित जाति की समस्या के समाधान के लिये अंग्रेजी भाषा का नाम नही लिखा है और मैं आज यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जब तक अंग्रेजी भाषा की समाप्ति नही होगी तब तक परिगणित जाति की समस्या का समाधान नही होगा । जरा आप ठीक से सुनिये । आप, श्रीमन्, चूंकि कहेंगे कि राजनारायण ऐसे ऐसे बकता रहता है, इसलिए मैं अपने समर्थन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ला रहा हूं। राष्ट्रपिता गांधी ने अदालतों के संबंध में कहा है, अदालतों ने देश का बड़े से बड़ा नुकसान यह किया है कि उन्होंने अंग्रेजी की जड़ को मजबूत किया है । क्या आप सोचते हैं कि अंग्रेजों के लिये बिना अदालतों के अपनी सरकार चलाना सम्भव होता ? यह सोचना भूल है कि अदालतें जनता की भलाई के लिये कायम की गई हैं । जो अपनी शक्ति को बरकरार रखना चाहते हैं . . .

श्री उपसभापति : भाई, शेडयूल्ड कास्ट्स से और इससे क्या ताल्लुक है ?

श्री राजनारायण : सुनिये, राष्ट्रपिता यह कह रहे हैं कि जो अपनी शक्ति को बरकरार रखना चाहते हैं, वह आज की अदालतों के जरिये ऐसा करते हैं । यह जो हरिजन हैं, आज ये शक्तिहीन हैं, उनके पास शक्ति नहीं है । तो जब तक इस ढंग की अदालतें रहेंगी, तब तक हरिजन के पास शक्ति है नहीं । वह क्या बरकरार रखगे । वही जिनके पास प्रभुता है, जिनके पास पावर है, जिनके पास शक्ति है, उन्हीं अधिकारों को अदालतों के जरिये बरकरार रख रहे हैं । राष्ट्रपिता ने इसी लिये कहा था कि अंग्रेजी का समूल नाश होना चाहिये । आगे महात्मा गांधी कहते हैं . . .

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : वह हिन्दी वाला पौइन्ट आपने छोड़ दिया ।

श्री राजनारायण : मुख्य बात यह है कि बिना अंग्रेजी के अदालतें नहीं हैं । मान लिजिए अंग्रेज जज होता, अंग्रेज वकील होता और अंग्रेज ही पुलिस होता, तो क्या वह राज कर सकता ? बिना हिन्दुस्तानी जजों और वकीलों के वह चला नहीं सकता । अगर आप ध्यान दें कि कैसे वकील बनाये गये और कैसे वकील बनाये गये, तो आप उस पेशे से वैसे ही नफरत करने लगेंगे, जैसे मैं करता हूं । अगर वकील अपने धंधे को छोड़ दे और उसे उतना ही पातकीय मानने लगे जसे वेश्यावृत्ति है तो अंग्रेजी राज एक दिन में खत्म हो जाये . . .

श्री उपसभापति : इसका रेलेवेंन्स क्या है ?

श्री राजनारायण : यह गांधी जी ने अदालतों और जजों के बारे में कहा है । अगर हम परिगणित जातियों की समस्या को सुलझाना चाहते हैं, उनके उत्थान का मार्ग अपनाना चाहते हैं । तो आज की अदालतों के बारे में भी हमें सोचना होगा । देखा जाय, जब-जब सम्पत्ति का सवाल आता है तब तब अदालतें, जिनके पास सम्पत्तियां हैं, उनकी सम्पत्ति की हिफाजत का फैसला करती हैं । हरिजन के पास कहां सम्पत्ति है और आप जानते होंगे, श्रीमन्, इस सरकार ने जमीन ले ली है नहर बनाने के लिये, कल कारखाने खोलने के लिये, कोई नलकूप बनाने के लिये । वह हरिजनों की जमीन ले ली है । हरिजनों की जमीन ले कर मुआवजा देंगे 4 रु०, 5 रु०, 6 रु० और बेचेंगे 200 रु० पर।

जब किसी बड़े आदमी की जमीन ली जाती है तो उसको 4 हजार रुपया, 10 हजार रुपया और 16 हजार रुपया मुआवजा दिया जाता है। आज देश की इस प्रकार की स्थिति है और इसीलिये मैं कहना चाहता हूं ऊपर-ऊपर से सवाल को छूने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है । अगर समस्या का समाधान करना है तो उसकी गहराई पर जाना पड़ेगा, उसकी बिलकुल जड़ में जाना पड़ेगा और फिर उन जड़ों में जो कोढ है, जो बुराई है, उसको निकाल कर फेंकना होगा ।

अब मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे संविधान में यह व्यवस्था दी हुई है कि राज्य अपने लोगों के आहारपुष्टि तल और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा तथा विशेषतया स्वास्थ्य के लिये हानिकर मादक पेयों और औषधियों के औषधिय प्रयोजनों से अतिरिक्त उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा ।

इसके साथ ही साथ जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, जो पिछड़े लोग हैं, उनके उत्थान के लिये राज्यसमय-समय पर विशेष कानून बना सकती है । इसके बारे में मान्यता संविधान में दी हुई है । मैं यह जानना चाहता हूं, आप यहां पर कुर्सी में बैठे हुए हैं और क्या कुर्सी में बैठने से ही हरिजनों का उत्थान होगा ? हरिजनों का कल्याण इस तरह से होने वाला नहीं है, जब तक कि ऊपर जो लोग बैठे हैं, वे अपना आचरण ठीक न करें । मेरा यह कहना है कि ऊपर जो लोग बैठे हैं, वे लासा बनाते हैं । श्रीमती

[श्री राजनारायण]

इन्दिरा नेहरू गांधी की सरकार ने श्री जगजीवन राम को लासा बनाया है, ताकि वे हरिजनों को ला सकें और श्री फखरुद्दीन अली अहमद को लासा बना रखा है, ताकि वह मुसलमानों को लाने की नापाक कोशिश करें। इस तरह से ऊपर के लोग लासा बनाते हैं। इसलिए मैं अपने हरिजन बन्धुओं से यह कहना चाहता हूं कि अगर वे सही तरीके से अपनी उन्नति चाहते हैं तो हमारी बात को सुनें।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1950 में संविधान तैयार हो गया था और इस संविधान को लागू हुए करीब 20 साल हो गये हैं, मगर अभी तक हरिजनों के कत्ल होते हैं। श्री के० के० शाह साहब आप ही इस बात को सोचिये कि आज हरिजन लोग कुओं से पानी नहीं ले सकते हैं। आज भी हरिजन लोग मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आज भी बाकायदा हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए अलग से चाय की दुकानें बनी हुई हैं, होटल खुले हुए हैं और इतना होते हुए भी इस सरकार को शर्म नहीं आती है। सरकार इस बात को अच्छी तरह से देखे कि जहां समाज में इस तरह से पृथक होटल या चाय की दुकानें बनी हुई हैं, उन्हें बन्द कर दिया जाना चाहिये। जो लोग हरिजनों को पानी पीने नहीं देते हैं, पानी कुओं से खींचने नहीं देते हैं, उनके ऊपर जबर्दस्ती मुकदमा चलाया जाना चाहिये और उनको जेल में बन्द कर दिया जाना चाहिये। एक नहीं, अनेक उदाहरण इस संबंध में मैं प्रस्तुत कर सकता हूं कि इस तरह के केसेज में कोई मुकदमा नहीं चलाया गया। पुलिस इस तरह के मामलों में चुपचाप बैठी रहती है।

कानून में लिखा है कि हरिजनों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित होंगे, मगर मैं पूछना चाहता हूं, उनकी परिक्षा कौन लेता है, उनका साक्षात्कार कौन करता है। जरा इस बात को ईमानदारी के साथ देखा जाय। एक बहुत बड़े आई० सी० एस० के आदमी हैं, हम नाम नहीं लेंगे, वे अब भी सरकारी सेवा में हैं। उन्होंने कहा कि राजनारायण जी क्या हरिजनों का उत्थान चिल्लाते हैं, मैं आपको बतला दूं कि अगर सारे का सारा कोष हरिजनों के उत्थान के लिए भी कर दें तो भी हम कानून में ऐसी गुंजाइश निकाल लेंगे कि नौकरियों में हमारे ही बाल बच्चे आयें, क्योंकि ऊंचे पर, सचिवालय तक जो परिक्षक हैं, जो साक्षात्कार करते हैं, वे कौन हैं। क्या इनमें कोई हरिजन है। इन जगहों में वही लोग हैं, जो द्विज हैं। द्विज लोग हरिजनों के बच्चों को फेल कर देते हैं। जो हरिजन लिखित परिक्षा में अच्छे नम्बर पाता है, जब वह इन्टरव्यू में जाता है, तो वहां पर फेल कर दिया जाता है। उसको वहां पर कोई नम्बर नहीं दिया जाता है और इस तरह से दोनों परिक्षाओं के नम्बर मिला कर उसको फेल कर दिया जाता है। यह सारी की सारी समस्या है और इस समस्या का समाधान करना जरूरी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि फिरोज गांधी की सरकार ने इस समस्या के लिए क्या किया। यह मेरा एक सीधा सा प्रश्न है। मुझे इसके बारे में एक बात भी बतला दी जाय कि उनके उत्थान के लिए क्या काम इस सरकार ने किया। सरकार की ओर से प्रचार कराया जाता है कि वह अस्पृश्यता के संबंध में बहुत कार्य कर रही है, लेकिन अभी तक अस्पृश्यता का निवारण नही हुआ है। अस्पृश्यता का निवारण क्या है? अस्पृश्यता है क्यों? संविधान के लागू हुए 20 साल हो गए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या शुक्रवार 20 जनवरी को हुई थी, उसके बाद भी अस्पृश्यता क्यों? अछूत क्यों? अछूतों के निवारण की समस्या अभी तक क्यों बनी हुई है? अगर इस सरकार में तनिक भी लज्जा होती तो इस समस्या का समाधान वह बहुत पहले ही कर देती। लेकिन आज भी यह समस्या है और इस सरकार को अपने चेहरे को काले रंग से धो लेना चाहिये। मैं आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि

यहां पर सरकारी मंत्रीगण हैं, हमारे मित्र श्री के० के० शाह हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, उनसे लड़ता हूं और पता नहीं उनका जो छोटा गोल चेहरा है, उससे हमारे मन में मोहब्बत पैदा हो जाती है। ये हनुमन्तैया साहब बैठे हुए हैं, ये पुराने लोग हैं, लेकिन मैं पुछना चाहता हूं, उनकी जो—वेशभूषा है, क्या वह हरिजनों की वेशभूषा से मेल खाती है।

श्री के० के० शाह : मैं सच बताऊं, यदि आप राजनीति में नहीं आते और अस्पृश्यता निवारण का काम करते तो वह जल्दी खत्म हो जाता।

श्री ओम् मेहता : मेरा सजेशन है कि ये बाकी जिन्दगी इसी काम में बिताएं।

श्री राजनारायण : के० के० शाह साहब ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कितनी अच्छी बात बताई। ये कह रहे हैं कि तुम यहां पर हरिजन-हरिजन चिल्लाते हो, वह भी भी मत चिल्लाओ, बाहर रह कर जो करोगे, करोगे। मैं इसके लिए तैयार हूं के० के० शाह साहब इस्तीफा दे दें, मैं भी दे दूं, अगर समझौता हो जाय तो साइमलटेनियसली दोनों का साथ साथ हो जाय, अगर सदन में वचनबद्ध हो जायं कि राजनारायण पहले दे दें, मैं बाद में दूंगा तो मैं पहले दे दूंगा। कितनी हल्की बात है। भारत बड़ा प्राचीन मुल्क है, यह नया मुल्क नहीं है, यहां वर्ण-व्यवस्था रद्दा पर रद्दा, स्तर पर स्तर जमती गई है। यह एक दिन में कट नहीं पा रही है। इसको काटने का क्या प्रबन्ध सरकार ने किया है ? कोई उत्तर है सरकार के पास। आप देखिए इस दर्शन को जिसमें लिखा हुआ है कि जो काम न करे वह बड़ा आदमी है, अकर्मवाद की शिक्षा दी जा रही है, देखिए—

'औरन को धन चाहिए बावरी,
बामन को धन केवल भिक्षा।'

ब्राह्मण भिक्षा मांग कर खाएगा। ज्यादा दूर न जाइए, मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी केन्द्रीय मंत्रि परिषद में कितने लोगों ने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया है ? भारतवर्ष में महान पुरुष कौन पैदा हुआ, जिसने जातिवाद और वर्ण-व्यवस्था पर सर्व प्रथम कुठाराघात किया ? बीस वर्ष का समय हो गया, क्या कभी इस सरकार ने इस बात को सोचा कि चार्वाक का दर्शन जो लुप्त हो गया उसकी भी खोज की जाय। चार्वाक को कहीं खोजा नहीं गया। जिन लोगों ने प्रसंगवश चार्वाक का खंडन किया है, उन्होंने चार्वाक के श्लोक को उल्टा करके, विकृत करके दिखा दिया है हम यहां लोक सभा में या राज्य सभा में, पढ़े लिखों की मंडली में कुछ बोल दें, लेकिन गांव-गांव में क्या पढ़ाया जाता है। इसलिए हम *1958 की इलाहाबाद नैनी जेल की अपनी* कापी ले आए हैं। जेल में रह कर इनसबा चीजों को हम पढ़ते हैं। यह बौद्ध धर्म का सूत्र 12(4) है, इसका क्या अर्थ हुआ के० के० शाह साहब ? उनको सुनने की फुरसत नहीं है, वे रेडियो से बात कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं होगा राज्य सभा की जो यह हमारी डाइरेक्टरी है टेलीफोन की उसमें एक ऐसे आदमी का टेलीफोन नम्बर लिख दिया गया है, जो राज्य सभा का सदस्य नहीं है, वह बी० बी० लाल राज्य सभा का सदस्य नहीं है, मगर हमारी टेलीफोन की डाइरेक्टरी में राज्य सभा के सदस्यों की सूची में उसका नाम लिखा हुआ है। यह साजिश है श्री गुजराल के विभाग की। हमको यह मालूम हुआ है कि वह आदमी राज्य सभा के सदस्य की हैसियत से बहुत लोगों से पत्र-व्यवहार कर रहा था, बहुत लोगों से लेन-देन करता है, मंत्रियों के यहां से लेकर बहुत से लोगों से चढ़ा-ऊपरी करके पैसा इकट्ठा करता है। यह कौन करवा रहा है ? गुजराल साहब का विभाग है। वे हंस रहे हैं, उनको यह पता नहीं है। मैं चाहता हूं, वे यह बात सर्सरी तौर पर न लें। आप अपने सचिवालय से पूछें कि ऐसी गलती क्यों हुई। मैं नहीं जानता कि जो टेलिफोन की डाइरेक्टरी निकली है, उसमें राज्य सभा के सदस्यों की सूची राज्य सभा सचिवालय

[श्री राजनारायण]

से दी जाती है या कहां से आती है या काल्पनिक सूची छाप दी जाती है । इसमें राज्य सभा सचिवालय पर दोषारोपण हो सकता है । राज्य सभा के सचिव को बताना चाहिये कि जब राज्य सभा के सदस्यों की सूची में ऐसे आदमी का नाम छपा हुआ है, जो राज्य सभा का सदस्य नहीं है तो क्या राज्य सभा के सचिवालय ने इस पर कोई एक्शन लिया ?

इस पर क्या कोई कार्रवाई की, क्या टेलीफोन विभाग को लिखा । (*Interruptions*) । राज्य सभा के सचिव भले आदमी हैं, कर्तव्य-परायण हैं । अगर राज्य सभा के सचिव स्वतः काम करें तो वे ईमानदारी से काम करते हैं । इतना कहने में मैं जरा भी गुरेज नहीं करूंगा कि अगर राज्य सभा के सचिव की स्वतंत्रता पर सरकारी अंकुश कहीं से न बैठ जाय और वे स्वतः काम करें तो वे ईमानदार हैं । यह मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर राज्य सभा के सचिवालय ने सूची दी होगी, तो उसमें उसका नाम नहीं होगा और अगर राज्य सभा के सचिवा-लय ने सूची नहीं दी होगी तो उसका नाम होगा । आज इस तरह का अनर्थ हो रहा है । (*Interruptions*) जो हमने श्लोक पढ़ दिया, श्री के० के० शाह साहब अब आप उसका अर्थ सुनिये । असल में कुछ बिगड़े रईसों के लड़के राज्य सभा के सदस्य हो गये हैं और व राज्य सभा में वैसा ही मजाक करते हैं जैसा कि बाहर करते हैं । उनको समस्या की गंभीरता से कोई मतलब नहीं है । वे डिप्टी मिनिस्टर हो जायं, स्टेट मिनिस्टर हो जायं, कैबिनेट मिनिस्टर हो जायं, वे खाली इसी तिकड़म और साजिश में फंसे रहते हैं ।

SHRI SRIMAN VRAFULLA GO-SWAMI (Assam) : He is talking on all matters. We are not prepared to hear him.

श्री राजनारायण : श्लोक यह है : शूद्र यदि वेद को सुन पावे तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा और लाख भरवा देना चाहिये यदि वेद का उच्चारण करे तो उसकी जिह्वा कटवा देनी चाहिये, यदि वेद का स्मरण करे तो उसको मरवा देना चाहिये । यह मनुस्मृति है । यह गांव-गांव में कुछ पोंगापंथी, तथाकथित वादी सिल्क की चद्दर ओढ़े हुए, कमंडल हाथ में लिए हुए, गंगा जल धारण किये हुए प्रचारित करते हैं । क्या इस सरकार को इस बात की जानकारी है ? क्या ऐसे लोगों को दंड देने की सरकार ने कोई व्यवस्था की है ? अगर सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नही की है तो क्यों नहीं की है । यह मेरा सवाल है और इस सवाल का कोई जवाब दे कि देहातों में जा जा कर के कमंडलधारी पंडित लोग जो ऐसा मंत्र पढ़ते हैं और कहते हैं कि देखो हमारे देवता ने ऐसा लिखा है ।

श्री शीलभद्र याजी : किस पंडित की हिम्मत है, किसकी इतनी जुर्रत है जो यह कहे उसको मार देंगे ।

श्री राजनारायण : उस पंडित की जुर्रत है जो अपने को प्रधान मंत्री के पद पर सुरक्षित रखने के लिये ब्राह्मणवाद का नारा देती है, उस पंडित की हिम्मत है जो अपने को प्रधान मंत्री पद पर सुरक्षित रखने के लिये हिन्दू और मुसलमान का नारा देती है, उस पंडित की जुर्रत है जो अपने को सत्ता में कायम रखने के लिये मुस्लिम लीग की स्थापना करवाती है ।

उस पंडित की जुर्रत है जो गद्दी में अपने को कायम रखने के लिए कहता है कि मुस्लिम लीग सांप्रदायिक सभा नहीं है, उस पंडित की जुर्रत है जो मुस्लिम लीग की स्थापना करा कर के हिन्दू महा सभा को बल देता है । बेमतलब की बात क्यों करते हो । मैं श्रीमन्, एक मौलिक प्रश्न आप के द्वारा उठा रहा हूं और जानना चाहता हूं कि इस संबंध में इस सरकार ने क्या कार्यवाही की । इसके साथ ही एक प्रश्न मैं और उठा रहा हूं । आप बोद्ध गया चले जाइये । अगर वहां पर कोई सूक्ष्मदर्शी हो कर देखेगा तो पावेगा । जो बुद्ध जी के सामने मंदिर बना हुआ है, वह आप देखें कि किस का है । . . .

श्री शीलभद्र याजी : यह लिखा हुआ है इसमें ।

श्री राजनारायण : जो कपड़ा उनको ओढ़ाया गया है, उस को जरा उघाड़ कर देखो कि वह मूर्ति राम की है या कृष्ण की है या किस की है । इस प्रकार बुद्ध मूर्तियों को तोड़ कर राम और कृष्ण की मूर्तियां स्थापित करने से क्या हरिजनों की समस्या का समाधान होगा ?

श्री के० के० शाह : राजनारायण जी एक बात कहूं । एस० वी० डी० में बैठने के बाद आप को इस ढंग से बोलने का हक कुछ कम हो गया है । यह मैं सच्ची बात कहता हूं आपसे हाथ जोड़ कर ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैंने पहले ही कह दिया कि :

मुझे नफरत न थी अंग्रेज की कोम व सूरत से,
मुझे तो नफरत थी उनके अंदाजे हुकूमत से ।

चाहे अपनी हुकूमत हो चाहे परायी हुकूमत हो, अगर उस का तर्जे अमल गलत है तो राजनारायण उस हुकूमत को ठोकर मार देगा और उसमें वह हिचकेगा नहीं ।

श्री ओम् मेहता : ठोकर का सवाल नहीं है, आप तो उसमें शामिल हैं ।

श्री राजनारायण : अगर शुद्ध संसोपा की हुकूमत भी हो जाय तो उस हुकूमत को भी ठोकर मार दी जायेगी अगर उसने अपना तर्जे अमल बदल दिया । इसको समझने और सीखने का तरीका हमारे पास है और अगर हम में यह विचित्रता होती तो अब तक गुजराल साहब का रेडियो हम को खा गया होता । श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बुद्ध की जन्म भूमि में चले जाइये . . .

(*Interruptions*)

श्री उपसभापति : राजनारायण जी, आपके 22 मिनट हो गये हैं ।

श्री राजनारायण : अब लोगों की छाती पर साप लौटने लगे, क्योंकि जितने लोग चिल्ला रहे हैं, वे सभी द्विज परिवार के लोग हैं ।

(*Interruptions*)

आप चले जाइये कुशी नगर । वहां पर भगवान बुद्ध का निर्वाण हुआ था । वहा बुद्ध की बड़ी विशाल प्रतिमा है, लेकिन वहां लोग जाते हैं तो हर कोई कहता है जै हनुमान, जै हनुमान, जै राम जै राम, । वहां कहीं पर बुद्ध का नाम ही नहीं है । तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सरकार ने क्या मानसिक क्रान्ति की है । उसने मानसिक क्रान्ति करने का क्या रास्ता अख्तियार किया है और जब तक इस देश में बड़े पैमाने पर मानसिक क्रान्ति नहीं होगी, तब तक हरिजनों की समस्या का समाधान नहीं होगा । श्रीमन्, यह कोई मामूली घटना नहीं है जो रायपुर में विद्यार्थियों का आन्दोलन चला । इस घटना को हम को गंभीरता से समझना पड़ेगा । वहां एक जैन मुनि पर हमला कराया गया सनातनधर्मियों से साजिश कर के । रायपुर में इन्दिरा गांधी की सरकार है । इस सरकार में, इस की वाणी में, इसकी जिव्हा में कोई ताकत नहीं थी कि वह कहती कि जैन मुनि की रक्षा होगी । जैन मुनि जिस मत का प्रकाशन कर रहे हैं, वह जात पात को नष्ट करने वाला है ।

(*Interruptions*)

श्री उपसभापति : आप जरा उनको शान्ति से सुन लिजिये ।

श्री राजनारायण : वह शायद द्विज परवार के हैं । वह बता दें कि वे किस परिवार के हैं ?

श्री शीलभद्र याजी : हम भारतीय हैं ।

श्री राजनारायण : मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग आज कल इंडियनाइजेशन के नाम से चौंकते हैं । गांधी जी ने कहा था कि इंग्लिश शुड बी इंडियनाइज्ड । हमारे देश में अंग्रेजी ही नहीं, अंग्रेजी भी अगर भारतीय बन कर रहेंगे तो उनके लिए जगह है, लेकिन अगर वे हमारे देश में अंग्रेजी सभ्यता और अंग्रेजी संस्कृति चलायेंगे तो उनके लिए हमारे देश में

[श्री राजनारायण]

जगह नहीं है । तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां हमारे मंत्री लोग हैं, वे ईमानदारी के साथ अपनी छाती पर हाथ रख कर कहें । आप देखें—समान प्रसवात्मिका जातिः ।

इस श्लोक का अर्थ समझ कर के कितने मंत्री, कैबिनेट स्तर के या दूसरे स्तर के, आचरण कर रहे हैं । अर्थ क्या हुआ जिनकी जनन-क्रिया समान हो वह एक जाति हुई । एक ब्राह्मण है और एक हरिजन है यह जो कहा जाता है वह ठीक नहीं । एक औरत है और एक मर्द है, चाहे वह हरिजन हो या ब्राह्मण हो, अगर मर्द और औरत में सम्भोग हो तो बच्चा ही पैदा होगा । तो जाति एक मानव-जाति है । तो इस श्लोक को परिचालित और प्रसारित करने के लिए इस सरकार ने क्या किया । यह गौतम सूत्र का 22 वां श्लोक है—समान प्रसवात्मिका जातिः । जो अपने समान को जन्म दे उनकी जाति एक है । गौतम बुद्ध ने जब अपना मुखारविंदु खोला था, तो उनके शिष्यों ने उनसे यही सवाल किया था कि महाराज आप कहते हो कि मनुष्य जाति एक है, लेकिन यहां पर तो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र, तो बुद्ध ने कहा कि यह मनुष्य की कल्पना है, यह सब मनुष्य एक जाति के हैं । एक ब्राह्मण औरत हो या एक शूद्र मर्द हो या एक शूद्र औरत हो और एक ब्राह्मण मर्द हो इससे क्या, ब्राह्मण औरत और शूद्र मर्द में सम्भोग होगा तो क्या होगा, बच्चा पैदा होगा । तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण और शूद्र में क्या, एक औरत और एक मर्द से बच्चा पैदा हो रहा है । तो इस अर्थ को, इस श्लोक को, इस भाव को इस सरकार ने कितने लोगों के मनों में भरा है, कितने लोगों के मनों में इसको भरने की कोशिश की है । और फिर यह कहते हैं, इनकी हिम्मत पड़ती है यह कहें कि हम हरिजनोद्धार करेंगे, हम अस्पृश्यता-निवारण करेंगे और यह शेड्यूल्ड कास्ट आयोग की रिपोर्ट पर बहस होगी । क्यों बहस कर रहे हो ! अपनी कथनी को, अपनी करनी को क्यों नहीं देखते ! क्या कथनी और करनी की एकता है ? तो श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं . . .

श्री शीलभद्र याजी : आपकी लिस्ट में जो आपने दिया है एस० एस० पी० की उसमें कितने हरिजन हैं और कितने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं ।

श्री राजनारायण : अभी हमारी पूरी लिस्ट नहीं है ।

श्री ओम् मेहता : यह पकड़े गये ।

श्री राजनारायण : आप जरा सुन लीजिये ।

श्री शीलभद्र याजी : हाथी के दो दांत होते हैं, एक खाने के और एक दिखाने के । चलिये चलिये, बोलिये, बोलिये ।

श्री राजनारायण : हम क्या बोलें, उन्हीं को सुनिये । सवाल पूछा है तो जवाब सुनिये । देखिये, हमारा कोटा होगा ।

श्री के० के० शाह : आप हमारी बात सुनिये आप हुकूमत में नहीं थे तब तक आप जितना बोले हुकूमत के बारे में सब आपके आगे रखा जायगा । आपके आगे सब रखा जायगा क्योंकि अब हुकूमत में आप बैठे हैं । सब बात आपके सामने रखी जायगी ।

श्री शीलभद्र याजी : राजनारायण जी, सम्भल कर बात कीजिये ।

श्री राजनारायण : मैं बहुत ही प्रसन्न हूं कि इन्दिरा कांग्रेस के मंत्रिगण हमसे यह सवाल पूछ कर अपनी कालिमा को दूर करना चाहते हैं । मैं इनकी तारीफ करता हूं और मैं इनके सवाल से प्रसन्न हूं, मगर, श्रीमन्, मुझे निश्चित रूप से मालूम नहीं कि हमारा कितना कोटा होगा । जरा सुन लीजिये ।

श्री के० के० शाह : आज जो लिस्ट दी है उसमें कितने नाम हरिजनों के हैं, कितने हरिजनों को लिया है ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मुझे बताया गया है कि शायद हमारा सात का कोटा होगा, तो अगर हमारा सात का कोटा होगा तो उसमें एक मुसलमान है, एक हरिजन है, एक यादव है . . .

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : बाकी राजपूत ।

श्री राजनारायण : . . .यानी 7 में 5 बैकवर्ड हैं और दिव्ज एक होगा या दो होगा, इससे ज्यादा नहीं । 70 फीसदी बैकवर्ड के होंगे । हमारी पार्टी के विधान में लिखा हुआ है कि 60 फीसदी जगह बैकवर्ड को दी जाय, हमने 70 फीसदी दिया है । अगर 7 है तो उसमें एक हरिजन है . . .

श्री कल्याण चन्द (उत्तर प्रदेश) : 7 हो या 70 हो, आप 7 बतला रहे हैं, वह बात दूसरी है लेकिन सबसे पहले शपथ दिलवाई है जायसवाल को । पहले हरिजन को शपथ दिलवाते तब यह कहने की आपको हिम्मत होती ।

श्री राजनारायण : इनका कहना सत्य है, मगर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय समाज में जायसवाल दि्वज नहीं है ।

श्री ओम् मेहता : डिप्टी चेयरमैन साहब, जरा सुनिये ।

श्री राजनारायण : अगर हंसोगे तो समस्या को समझोगे नहीं ।

श्री ओम् मेहता : मैं तो समझता हूं ।

श्री राजनारायण : देखिये, विचारों के आदान-प्रदान में मुझे प्रसन्नता होती है । हमारे यहां जायसवाल को कोई दि्वज नहीं मानता है, भारतीय समाज में जायसवाल को दि्वज नहीं मानते हैं । भारतीय समाज में जहां एक तेली है और एक अग्रवाल है वहां अग्रवाल चूंकि धनी हो जाता है इसलिये बड़ा कहा जाता है और तेली एक गरीब हो जाता है, गरीब रहता है इसलिये तेली कहा जाता है । उसका पानी छुआ लोग नहीं पीते हैं । आप क्या समझते हैं ? जायसवाल के हाथ का छुआ पानी नहीं पीते ।

श्री आई० के० गुजराल : आप नहीं पीते होंगे ।

श्री कल्याण चन्द : सब पीते हैं । वह गलत कहते हैं । कैसे आप उनको बैकवर्ड क्लास में कहते हैं । आपको ज्ञान नहीं है ।

श्री राजनारायण : हम तो उनका जवाब दे रहे हैं । हमने समाज में केवल दो विभाजन किया—द्विज और अद्विज । जन्म से तो सभी शूद्र है, फिर कैसे एक शूद्र हो गया, एक द्विज हो गया ? मनु के इस श्लोक का मतलब है जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण । जो ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुआ है वही ब्राह्मण है, यह किसी ने नहीं कहा है । मेरा अफसोस है मनु क्षत्राणी के पेट से पैदा हुआ । मनु ने गलती की गांधी जी की तरह, जैसे महात्मा गांधी ने एक महापाप किया जो उन्होंने कह दिया मेरा "पोलिटिकल हीयर" जवाहरलाल नेहरू है—मनु ने महापाप किया जो उन्होंने कह दिया कि भृगु के मुंह से सुना है जो लिखा है, लो यही समझ कर पढ़ें । यह मनु ने बहुत गलत कहा । उसने ब्राह्मणों को एक दम से बढ़ा दिया और लोगों को एक दम से धंसा दिया । वह श्लोक तो देखो । तो मेरा निवेदन था कि सरकार ने अपने प्राचीन ग्रंथों में प्राचीन संस्कृतियों से प्राचीन ऋषि मुनियों की वाणी से छान कर जो समाज में समता लाने का सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया क्या है ? यह मेरा मौलिक प्रश्न समझ लो, अगर इस समस्या का समाधान इस नुक्ते नजरिये से नहीं करोगे तो केवल इस राज्य सभा की डिबेट से कुछ होने वाला नहीं है । मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन माई का लाल है—बता दें श्री के० के० शाह—7 और 5 में कितने द्विज होंगे? एक से ज्यादा हर्गिज नहीं ।

श्री शीलभद्र याजी : झूठी बात है ।

श्री राजनारायण : दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, काशी विश्वनाथ जी के मंदीर में देश के कोने-कोने से लोग दर्शन के लिये आते हैं । एक व्यक्ति है राजनारायण, जो हरिजनों का एक जथा लेकर मंदिर में गया । तब उसकी दाढ़ी लम्बी थी और कांग्रेस सरकार और उसकी पुलिस ने उसकी दाढ़ी खींच ली । फिर 2 फर्लांग तक हमको घसीट घसीट कर ले गये . . .

श्री ओम् मेहता : कौन थे उस वक्त वहां के चीफ मिनिस्टर ?

श्री राजनारायण : सम्पूर्णानन्द जी थे । उन्होंने कहा था राजनारायण . . .

श्री के० के० शाह : राजनारायण जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूं । आप जवाब नहीं दे पायेंगे । जिस हुकूमत ने आपको जेल में रखा, उसी हुकूमत के साथ आप कैसे बैठे ?

SHRI K. S. CHAVDA : Sir, the problem of Scheduled Castes is a national problem and poli tics should not be brought in. Much of the time of the House is being taken on this.

श्री राजनारायण : मेरे समय में से यह कटेगा नहीं ।

श्री शीलभद्र याजी : चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत लग गई ।

श्री के० एस० चावडा : यह सवाल है हरिजनों के उद्धार का, इसमें पोलिटिक्स लगा देंगा तो कैसे उद्धार होगा । उनको भी कहता हूं, आपको भी, सबको कहता हूं ।

श्री राजनारायण : मैं हाथ जोड़ कर बिनती करता हूं और चाहता हूं लोग मेरी बात सुनें, इसी लिये मैं धीरज से बोल रहा हूं । मैं श्री के० के० शाह को फिर आपके द्वारा शुक्रिया अदा करता हूं . . .

श्री शीलभद्र याजी : डिपुटी चेयरमैन साहब, यह बोलते जाते हैं और आप इनको रोकते नहीं, दो-दो घंटे तक बोल जाते हैं । हमको 5 मिनट 10 मिनट में आप बैठा देते हैं । क्या यह सोशलिज्म है ? आप न्याय कीजिए, बैठाइये इनको ।

श्री चित्त बासु (पश्चिमी बंगाल) : कौन बिठायेगा उनको ?

श्री उपसभापति : आपके 5 मिनट और बाकी हैं ।

श्री राजनारायण : हम तो शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर जो बोलेंगे वही हमारा समय है । मैं तो अभी उनका जवाब दे रहा हूं ।

श्री उपसभापति : जवाब देने की जरूरत नहीं है । 5 मिनट में आपको खत्म कर देना है ।

4 P. M.

श्री राजनारायण : जिस हुकूमत ने मुझको गिरफ्तार किया उस हुकूमत में इन्दिरा कांग्रेस के प्रतिनिधियों का कैबिनेट में बहुमत था । अब वह इन्दिरा कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार समाप्त हो रही है ।

श्री के० के० शाह : चीफ मिनिस्टर कौन था ।

श्री राजनारायण : श्री चरण सिंह अब नहीं रहे ।

श्री के० के० शाह : उनका दल तो है ।

श्री राजनारायण : श्रीमती इन्दिरा गांधी तो पारस पत्थर बनना चाहती है, जिसको व छू दें वह सोना हो जाय और जिसको न छुवे वह पत्थर हो जाय । जो उनके साथ मिल कर नहीं रहना चाहते हैं उनको वह पत्थर बनाना चाहती है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं :

इब्तदाये इश्क है रोता है क्या,
आगे आगे देखिये होता है क्या ।

आज हम हरिजनों की उत्थान की बात करना चाहते है । लेकिन जो हमारे बीच में द्विज परिवारवाले बैठें है, जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, वे ही

इस काम में रोड़ा अटकाते हैं और हरिजनों के बच्चों को प्रोत्साहन नहीं देते हैं । मैं इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । पहले सरकारी सेवाओं को ही ले लीजिये । जब श्री गोविन्द वल्लभ पंत जो घर मंत्री थे, तो उनके जमाने में शिड्यूल्डकास्ट वालों के संबंध में एक रिपोर्ट निकली थी, जिसमें कहा गया था कि प्रथम, द्वितीय श्रेणी की जो सेवाएं हैं, उनमें हरिजनों का 25 प्रतिशत कोटा होना चाहिये और तीसरे और चौथे श्रेणी के कर्मचारियों का 333 प्रतिशत कोटा होना चाहिये । मैं चाहता हूं कि हरिजनों के लिये सरकारी सेवा में सुरक्षित स्थान आबादी के अनुसार होना चाहिये । उनके स्थानों को सुरक्षित रखा जाना चाहिये और अगर उनके स्थानों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार न मिले तो वे जगहें खाली रखी जाय । वे जगहें द्विज या किसी दूसरे श्रेणी के लोगों द्वारा न भरी जायं। आज ऊपर की सर्विस में जो द्विज लोग छाये हुए हैं, वे हरिजनों को इस तरह की जगहों में नहीं आने देते । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस ढंग से व्यवस्था की जानी चाहिये, जिसमें हरिजनों के लिये जो कोटा रखा गया है, वह उनके ही द्वारा भरा जाय ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई छुआछूत के संबंध में भद करता है तो उसके लिए सख्त से सख्त कैद की, सजा को व्यवस्था की जानी चाहिये । किसी भी हालत में अगर किसी भी हरिजन को समाज में नीचा स्तर मिलता है, किसी स्थान में नीचा स्तर मिलता है, तो जो नीचा स्तर दिलाने वाली ताकत है, उस ताकत को कम से कम 6 महीने की सख्त सजा दी जानी चाहिये ।

इसके साथ ही साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जेलों में जहां पर 2 हजार लोग एक साथ रहते है, 700 लोग एक साथ रहते हैं, 1500 लोग एक साथ रहते है, जहां पर इस तरह से इतने लोग सामूहिक रूप से रहते हैं, वहां पर अनपढ़ लोगों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये । मैं जिस जिस जेल में रहता हूं वहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट से इजाजत ले लेता हूं और जो अनपढ़ लोग जेल में होते हैं उनको शिक्षा देता हूं ।

आज मैं देखता हूं कि हरिजनों को जेलों में वह स्थान प्राप्त नहीं होता है जो और लोगों को प्राप्त होता है । इस संबंध में हमने लड़ाई भी लड़ी और इस लड़ाई को हमारे ओम् मेहता साहब नहीं समझ सकते हैं कि हम किस ढंग की लड़ाई लड़ रहे हैं । हम चाहते हैं कि इस तरह की शिक्षा वहां के लोग को दी जाय, जिससे वे सबको समान समझें । मानव धर्म की शिक्षा आज हमें जनता को देनी चाहिये हमें इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिये कि मनुष्य मनुष्य सब समान है, न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है ।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि बौद्ध साहित्य का व्यापक आधार पर प्रचार होना चाहिये और यह प्रचार सरकार की ओर से होना चाहिय । गांधी जी चले गये । गांधी जी में तो बहुत असंगतियां थीं । हमारे रेडियो द्वारा रोज "रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम ।" रेडियो को इस तरह का प्रचार बन्द कर देना चाहिये । उसे तो इस तरह का प्रचार करना चाहिये । समान प्रसवा: समान जाति । जो सरकारी रेडियो है वह नित्य प्रति यह प्रचार करता है, रघुपति राघव राजाराम, पतितपावन सीताराम । इसका अर्थ तो यह है कि अगर कोई पतित है तो उस पतित को पवित्र करने वाला सीताराम ही है । जो सरकार सरकारी स्तर पर समाज को पतित बताये और पवित्र करने वाले को कोई दूसरी शक्ति माने तो फिर परिगणित जाति वाले का उत्थान कैसे होगा । मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप चेयर में बैठे हैं और आप सरकार को इस संबंध में सुझाव दें कि उसे इस तरह से रेडियो द्वारा प्रचार नहीं करना चाहिये ।

सरकार को ऐसी भाषा और ऐसे सिद्धांत का प्रसारण करना चाहिये, जिससे मानव-मानव में एकता आए, मानव-मानव की विषमत

[श्री राजनारायण]

दूर हो, मानव-मानव की दूरी समाप्त होकर सामीप्यता के सिद्धान्त पर आप चलें । इसलिये मैं आज सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे मंत्री को खोज जाय, जिनमें यह तथ्य प्रतिष्ठित हो कि मनुष्य समान है, हमारे समाज में न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है, सब मानव हैं, सब मनुष्य हैं और सब एक समान भाई के पेट से पैदा हुए हैं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बौद्ध साहित्य का प्रचार हो, कबीर साहित्य का प्रचार हो । कबीर की कुछ ऐसी ऐसी किताबें हैं, जो अभी अभी हाथ से लिखित हैं, जिनको कोई छापने वाला नहीं है । क्या आज हमारे देश में कबीर को भूल कर मानव-मानव को समान बनाया जायगा ? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गुरु नानक के साहित्य को पढ़ो । कौन यहां पंडित बना हुआ है, जो गुरु नानक के साहित्य को पढ़ता है । हिन्दू धर्म की सड़ांध को देख कर गुरु नानक ऊब गए और उन्होंने एक नए मार्ग का अवलम्बन किया । उनके अनुयायियों ने एक अलग सम्प्रदाय बना लिया। एक अलग चीज और चल गई, मगर मैं कहना चाहता हूं कि सरकार सबका समन्वय करे और कबीर का यह दोहा हर जगह लिखा जाय--

"नारी एक पुरुष दुय जाया . . .

यह दोहा सरकारी रेडियो कहे यह दोहा प्रधान मंत्री कहे तो लोगों को मालूम होगा कि कबीर ने क्या कहा था । कबीर ने कहा था कि एक नारी और एक पुरुष के योग से सारा मानव समाज बना है, जसे पत्थर को फोड़ कर गंगा की पतली धारा निकलती है और मैदान में आकर फैल जाती है वैसे ही मानव समाज सारे विश्व में फैला हुआ है, लेकिन प्रारम्भ एक नारी और एक पुरुष का है । इस चीज को प्रसारित करना चाहिये । कबीर का यह दोहा कोई कबिनेट स्तर का कोई मंत्री जानता है । "जो तू बामन बमनी जाया. . .

श्री उपसभापति : राजनारायण जी, कितना समय लगेगा ?

श्री राजनारायण : कबीर ने कहा कि तुम बामन बमनी के पेट से पैदा होकर, ऊंचे कैसे हो गए दूसरों से, दुसरे भी माई के पेट से पैदा हुए हैं । अगर यही था तो "आन बाट हो का न आए", किसी दूसरे रास्ते क्यों नहीं आए, माई के पेट से क्यों निकले । उन्होंने मुसलमानों को भी ललकारा--"जो तू तुर्क तुर्कनी जाया, पेट ही खतना क्यों नहीं कटाया" तुर्कनी के पेट से पैदा होकर तुम तुर्क कहलाते हो, अपने को हिन्दू से अलग करते हो, ईमानदारी से इस सवाल का जवाब ढूंढ़ो, अगर तुम हिन्दुओं से अलग हो तो जब माई के पेट में थे, तो क्या तुम्हारा खतना कटा था ? माई के पेट से जैसे हिन्दू का बच्चा पैदा होता है वैसे ही मुसलमानों का बच्चा, वैसे ही चमार का बच्चा, वैसे ही ब्राह्मण का बच्चा । इस सिद्धान्त को कितने मंत्री अपना रहे हैं, इस सिद्धान्त को कितने लोग अपने आचरण में प्रतिबिम्बित कर रहे हैं ?

श्री के० के० शाह : हम कहते हैं--

"पक्षी समझते हैं कि चमन बदला है,
हसते हैं सितारे कि गगन बदला है ।
मसान की खामोशी मगर कहती कि
खाक वही है, सिर्फ कफन बदला है ।"

श्री राजनारायण : मैं कहता हूं कि वही अंग्रेजी राज है, इनकी शक्ल बदल गई । हमने कह दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि इंगलिश कोर्ट विदाउट इंगलिश जज, हमको लगता है कि इंगलिश कोर्ट है, केवल जज भारतीय है ।

हमें बड़ी खुशी कि हमारे भाषण की आखिर में हमारे नन्दा साहब यहां पर आ गए । मैं चाहता हूं कि नन्दा साहब मेरी बात समझें और अपने साधु समाज से, अगर कोई असर हो, इन बातों को फैलवाएं, कबीर की वाणी को, गुरु नानक की वाणी को, वह वाणि जो मनुष्य-मनुष्य के भेद को मिटाती है, इन वाणियों को प्रसारित करें, सरकारी स्तर पर प्रचारित करें । कोई कहेगा कि यह अपनी बात कर रहे हैं, हम से ले लें, हमने भारतीय दर्शन, भारतीय

धर्म, भारतीय शास्त्र, जितनी ऋषि-मुनियों की वाणी है, सबका सारतत्व मानववाद का संकलित कर लिया है । हमें फुरसत नहीं है, पैसा भी नहीं है छपवाने के लिए, इसी को छपवा दीजिए, बड़ा देश का कल्याण हो जायगा ।

तो हम यह चाहते हैं कि "समान प्रसवात्मिका जाति" अर्थात जिनकी जनन क्रिया समान है, जो अपने समान को पैदा करते हैं, उनकी जाति एक है, इस आदर्श वाक्य को इस पार्लियामेंट के भवन में हर जगह लिख दिया जाय । कबीर की वाणी को भी लिख दिया जाय और उसको चरितार्थ कराया जाय । इस कैबिनेट में कितने कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, यह मुझे मालूम नहीं है । शायद 60, 70 तो होंगे ही मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर सब मिला के । जो मंत्री बनते हैं उनके पास साधनों की कमी नहीं होती है । मैं चाहता हूं कि जो मंत्री बनें, वे अनिवार्य रूप से इस बात की प्रतिज्ञा करें कि हम अपने घर की बेटी की शादी किसी पढ़े लिखे हरिजन से करेंगे । इसमें कोई जबरदस्ती का प्रश्न नहीं है । वे अपनी लड़कियों को ऐसी शिक्षा दें, उनको प्रोत्साहित करें और ऐसी प्रथा को चालू करें । दूसरे लोगों को बहुत परेशानी है, लेकिन इन लोगों को परेशानी कम कम है । इसलिये मंत्री बनाने में इस बात की प्रमुखता दी जाय कि वे अंतरजातीय विवाह करें । यदि हरिजन का बेटा हो और द्विज की बटी हो तो उनको विशेष सहूलियत दी जाय । मैं चाहता हूं कि सरकार एक ऐसा कानून बनाये कि जो हरिजन से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करेगा उसको विशेष रूप से 50 रु० मासिक पुरस्कार उसकी तनख्वाह में जोड़ कर सरकार उसको देती रहेगी । देखिये ये ऐसे काम हैं, जिनको अगर हम करें और अपने व्यवहार में लायें तो सही मानों में इसका कुछ असर होगा, वरना चाहे रोज चिल्लाते रहिये, रेडियो पर बोलते रहिये और दिन में 12 साड़ियां बदलिये, पक, कोट पहनिये, सेविल कोट पहनिये और कहिये कि हम समाजवादी हैं तो उसको कोई मानने के लिये तैयार नहीं होगा ।

इसके साथ ही साथ जो जितना बड़ा हो उस पर उतना ही बड़ा अंकुश हो । आज ही मुझे एक साढ़े 6 बजे की मिटिंग में जाना है इसी सम्बन्ध में । आज जो दिमाग है हमें उसको बदलना चाहिये । जरा देखिये कि प्रिंसिपल की तनख्वाह ढ़ाई सौ बढ़ेगी और अध्यापकों की तनख्वाह दस रु० बढ़ेगी । यह उसी दिमाग की जो एक सीढ़ी बना गई है, उसको हमें तोड़ना चाहिये । अगर ज्यादा ही रखनी हो तो दो तीन रखिये । इसी लिये हमने कहा कि चीफ इंजीनियर, सचिव, कलेक्टर, कमिश्नर आई० जी०, डी० आई० जी० ये लोग पांच-पांच और छः-छः हजार रुपया पाते हैं और उनके जो चपरासी हैं वे केवल 50, 60 रु० पाते हैं । क्या यही समाजवाद है, इसी से समाजवाद आयेगा, इसी से मानववाद आयेगा इसलिये मेरा कहना है कि क्यों ऐसा रखा गया है ? ऐसा इसलिये रखा गया है कि चपरासी तो हरिजन ही होगा, बैकवर्ड ही होगा । आप देखिये कि भंगी की कितनी तनख्वाह है । भंगी जो पाखाना साफ करता है, उसकी कितनी तनख्वाह है । गांधी जी ने कहा था कि अगर मैं पुनर्जन्म लूं तो मेरी इच्छा यह है कि मैं भंगी परिवार में पैदा होऊं । तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज अपने को समाजवादी, जनतंत्री कहने वाली तथाकथित इन्दिरा सरकार भंगियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिये क्या कर रही है, यह कलेक्टर की तनख्वाह घटा दे, यह कमिश्नर की तनख्वाह घटा दे, सचिवों की तनख्वाह घटा दे, आई० सी० एस० या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो लोग हैं उनकी तनख्वाह घटा दे, मगर चतुर्थ और तृतिय श्रेणी के जो लोग हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाये ।

जमीन के बंटवारे के बारे में रोज रेडियो पर, हल्ला मचाते हैं, इसलिये क्यों नहीं निश्चित रूप से कानून बनाया जाता है कि जितनी इस समय फालतू जमीन है वह हरिजनों को मिलेगी, भूमिहीनों को मिलेगी । इस सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि यह ऐसा कानून बना सके, यह सरकार केवल चिल्लाती है, मगर कानून नहीं बनाती है ।

[श्री राजनारायण]

इसलिये मैं बहुत ही अदब के साथ कहना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिशन की रपट पर विचार कर के यदि हमें कोई बुद्धि से काम करना है तो हमें इन कामों को दृढ़ता के साथ और साहस के साथ करना चाहिये ।

राजनितिज्ञ समाज परिवर्तित करते हैं और जो नौकरशाही के लोग हैं ये जो व्यवस्था चलती है उसी को ले कर चलती है । इसलिये मेरा कहना है कि सरकारी सेवा में आपको इन वर्गों के लोगों को अधिक से अधिक लेना चाहिये । आप देखें कि आपको भंगी सेंट परसेंट मिलगें, मालियों का परसेंट भी थोडा सा बढ़ गया है, मगर आप सेकिंड और प्रथम श्रणी की सवाओं में जा कर देखें कि वहां परिगणित जाति के कितने लोग हैं । (*Interruption*) मतलब की बात क्यों करते हो । क्यों नहीं कानून बनाते ? क्यों नहीं उनको वहां से हटाते ? हटाने की बात जब आती है तो कहते हो कि उनको हटाने से हमारे हाथ कट जायेंगे । इसलिये हमको समानरूपेण कार्य हरिजनोत्थान के लिए करना चाहिए । अगर हम अपने को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेने का हक़दार रखना चाहते हैं, तो हमको ईमानदार बनना पड़ेगा । गांधी जी ने हम को त्याग सिखाया, गांधी जी ने हमको कष्ट सहना सिखाया । गांधी जी ने कहा कि समाज में जो जितना ही पिछड़ा हुआ है उसको उतनी ही सरकारी सहायता की अधिक जरूरत है, उसे उतनी ही ज्यादा दूसरों की मदद की जरूरत है । सरकार आज क्यों नहीं विशेष प्रिव्लिज और अवसर उनको प्रदान करती ? क्यो नहीं हरिजनों को विशेष अवसर देती है? जैसी कि हमने एक व्यवस्था की है कि हम कम से कम 60 फीसदी जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ों को लेंगे और उसके अनुसार हम अपनी पार्टी में उन को लेते हैं । चाहे कोई कितना ही उल्टा हो कर लटक जाय? लेकिन अगर हमको 5 लोगों को वहीं भेजना है तो उस में तीन हरिजन होंगे ।

श्री उपसभापति : अब आपको अभी खत्म करना होगा ।

श्री राजनारायण : आप हुकूम दें तो मैं बिलकुल ही न बोलूं । मैं तो आपके आदेश पर ही चलता हूं । इसलिए मैं आपसे और सभी सम्मानित सदस्योंसे और खास कर सरकारी पक्ष से निवेदन करूंगा कि आज भारतवर्ष में मानव-मानव की विषमता बढ़ती जा रही है । ज्यों-ज्यों कांग्रेसी शासन बढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों जात पात की दीवार मजबूत होती जा रही है । क्यों? कहीं न कहीं इसका कारण है । वह दोष हमको खोजना पड़ेगा । किसी दूसरे पर दोष मढ़ने से काम नहीं चलेगा । आज यह सरकार अपनी सत्ता को कायम करने के लिए हिन्दु मुसलमान के अलगाव को बढ़ाती जा रही है । यह सरकार चमार, ब्राहमण, और बनिये के अलगाव को बडाती जा रही है यह अलगाव घटे और मानववाद प्रतिष्ठित हो, यही मैं कहना चाहता हूं ।

एक बात और कह कर मैं खत्म कर रहा हूं । सरकार दो शब्दों को अच्छी तरह से समझ ले—मानव और मानवता । सरकार जब तक मानव नहीं बनेगी तब तक वह मानवतावादी नहीं होगी । इस सरकार को मानवतावादी होना चाहिए ताकि मानव का उत्थान हो । आज मानवता कराह रही है । आज मानव संकटग्रस्त है । आज हर मंत्री बोलता है कि मानवता संकटग्रस्त है, लेकिन ऐसा कहने वाले मंत्री की नाक के नीचे मनुष्य मरते हैं इसलिए कि आज मानव और मानव में फर्क हो गया है । हर मानवतावादी मानव को समानता का अधिकार नहीं दे सकता, मगर हर मानव को समानता का अधिकार देने वाला मानवतावादी होगा । इसलिए केवल आज शाब्दिक जाल और ढ़ोंग रचने की आवश्यकता नहीं है । सभी मानवों का आकार एक है । एक सी शक्ल इस समाज में जिनकी हो, जिनका आकार समान हो, जिनकी जाति एक हो उनको समान अधिकार मिलना चाहिए । नाक, कान, हाथ, मुंह, आंख सबके एक से हैं इसलिये उनको समान अधिकार के सिद्धांत पर चल कर नौकरी

में स्थान दो, उनसे छुआछूत मिटाने के लिए ठोस कदम उठाओ। केवल लेख लिख कर या लेक्चर दे कर यह काम होने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं बहुत सूक्ष्म में अपने विचार रख पाया हूं। जो मैं नहीं कह पाया हूं, उस का दोष किसी दूसरे पर जाना चाहिए, हमारे पर नहीं।

श्री महावीर दास (बिहार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कुछ कहूं इसके पहले अपने माननीय सदस्य श्री राजनारायण जी के दो शब्दों की तरफ कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। यह रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम की जो व्याख्या की उन्होंने, वह व्याख्या गांधी जी के इस पद की वास्तव में ठीक नहीं है। पतित तो उसको कहते हैं कि जो घृणित काम करता हो, जो भ्रष्टाचार करता हो, झूठ बोलता हो, पापाचार करता हो। वह ब्राह्मण हो या हरिजन हो ऐसा व्यक्ति पतित होता है और उसको पावन करने के लिए भगवान हैं। सीताराम का लक्ष्य है भगवान से। हरिजन को सम्बन्धित कर के यह रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम नहीं बोला गया है। ऐसा नहीं कि यह पतित है और इसका पावन करने वाला हो और पावन करने वाला कोई ऊंची जाति है। इस व्याख्या को मैं नहीं मानता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वह व्याख्या स्पष्ट है कि पतित वह है चाहे वह ब्राह्मण हो, राजपूत हो, शूद्र हो, मुसलमान हो, हिन्दू हो जो कि पाप करता है जो पाप करता है वह पतित है और उसको पावन भगवान करेगा।

श्री राजनारायण : यानी आपके राज्य में पतित रहेगा ही।

श्री महावीर दास : वह दूसरी बात है। मैं राजनारायण जी की इस भावना से सहमति प्रकट करता हूं कि कबीर साहब ने जो कुछ कहा है वह मानव के लिये कहा है, मानवता के लिये कहा है, वहां वह धर्म-निरपेक्ष है, वहां कोई किसी में भेद नहीं है। यह बहुत अच्छी बात है और यह सबको मान्य है। कहां कोई कहता है कि यह अमान्य है। कहीं कांग्रेस सरकार ने कहा कि इस चीज को नहीं मानना चाहिए। इसका उदाहरण संविधान है और संविधान बना कर कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से समूचे मानव को समूची भारत की जनता को पूर्ण अधिकार और एक अधिकार दे रखा है। वह समानता का द्योतक है। बराबरी सबको है।

अब रह गई यह बात कि हम लोग कहां हैं, किस किस परिस्थिति में हैं और यह रिपोर्ट जो हमारे सामने विचारार्थ है, इसमें क्या क्या खामियां बताई गई हैं और क्या क्या उपलब्धियां हैं और इसी पर विचार करने के लिए हम यहां बैठे हुए हैं। मैं इस समय प्रधान मंत्री की सराहना करूंगा कि पिछले सेशन में लोक सभा में . . .

श्री महेश्वर नाथ कौल (नाम-निर्देशित) : राजनारायण जी आप जाइए नहीं, आप बैठिये तो।

श्री शीलभद्र याजी : बैठो और सुनो।

श्री राजनारायण : हमने अपना यह माना है कि माना असत्य बात कान में न जाय, इसलिए हम जाना चाहते हैं। अगर कहेंगे तो बैठ जायेंगे, लेकिन अगर हमारे अर्थ का अनर्थ करेंगे तो नहीं बैठेंगे। मैं आज इस निश्चित मत का हो गया हूं कि कांग्रेस पार्टी में जितने हरिजन हैं वही आज हरिजनों का नुकसान कर रहे हैं।

श्री महावीर दास : जरा सुनिये। लोक सभा की पिछली बैठक में हमारी प्रधान मंत्री ने घोषणा कर दी है, आपको वह अच्छी तरह मालूम होगा कि समाज से छुवाछुत या पिछड़ेपन को दूर करने के लिये समाज में उथल-पुथल पैदा करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि इसमें योगदान देने के लिए भी वह हर तरह का सहयोग देंगी। तो इनकी इस घोषणा के बाद मैं जानना चाहता था कि कितने राजनैतिक दलों ने इसका समर्थन किया, लेकिन अभी तक किसी ने समर्थन नहीं किया।

श्री राजनारायण : सुनिये, कांग्रेस की यह घोषणा नई नहीं उन्होंने घोषणा की तो क्या।

श्री महावीर दास : किसी राजनैतिक दल ने घोषणा की कि इस दृष्टी से प्रधान मंत्री हमारे साथ हैं ।

श्री राजनारायण : कांग्रेस की घोषणा हमेशा है, कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है, उसके आचरण और बुद्धि में फर्क है । कांग्रेस की घोषणा सर्वदा से है ।

श्री नेकीराम (हरियाणा) : आना है तो आइये ।

श्री महावीर दास : मैं एक बात और कहूं कि यह राज्य सभा है, राज्य सभा में दूसरी पार्टी के लोग भी है, हमारे कांग्रेस में तो विभाजन हो गया है और वहां भी हरिजन चले गये है । लेकिन दूसरी पार्टीयों के नेताओं ने शायद एक भी हरिजन यहां भेजा होगा चुन कर जो की बड़ी-बड़ी बाते करते हैं ।

तो मैं यह कहूंगा कि आज हम इस पर विचार करने के लिए बैठे हैं कि 20-22 वर्षों में हमने जो किया उसका हम लेखा-जोखा कर रहे हैं कि हमने क्या उपलब्धि की हैं विधान के मुताबिक और कहां-कहां तक हम नहीं पहुंच सके हैं । मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1968-69 की रिपोर्ट को आप देखें तो आप पायेंगे कि लोग कुछ भी बोले, लेकिन आज भी छुआछूत पूर्ण रूप से विद्यमान है, यद्यपि शहरों में दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन देहातों में यह बहुत उग्र रूप से है । जैसे कि आप देखेंगे कि रिपोर्ट में कहा गया है कि तामिल नाडु राज्य में 42 औरतों और बच्चों को जला दिया गया, मध्य प्रदेश के अन्दर 182 गांवों में सार्वजनिक कुंओं से हरिजनों को पानी नहीं लेने दिया जाता । मार्च, 1969 ई० में जो विश्व धर्म सम्मेलन बिहार में, पटना में हुआ था, उसमें जगतगुरु पुरी के शंकराचार्य ने क्या कहा था वह आपको अच्छी तरह से मालूम है । छुआछूत के सम्बन्ध में उन्होंने क्या कहा । यह सारी घटनायें सिद्ध करती हैं कि वास्तव में छुआछूत अभी मौजूद है, मिटी नहीं है, यद्यपि संविधान ने हमें पूर्ण अधिकार दे रखा है, कोई भी भेद नहीं रखा है । हमारी मनु-स्मृति हमारा विधान है। हमारे राजनारायण जी मनु-स्मृति को यहां लाते हैं मनु-स्मृति का विधान उस समय का विधान था, जब मानव-मानव में भेद किया गया था, वह उस समय चलता था । आज उसको दोहराने की जरूरत नहीं है । हमारा संविधान बताता है कि सबको बराबरी का हक है, सबको बराबरी का हक मिलेगा । उसको सफल करना एक गवर्नमेंट पर, एक पार्टी पर निर्भर नहीं है । यह सब पर निर्भर करता है । समाज में, जनता में, एक क्रांति लानी है तो यह सिर्फ केन्द्रीय सरकार पर निर्भर नहीं करता है, यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है, यह राजनैतिक दलों पर निर्भर करता है । अगर राजनैतिक दल प्रभावशाली नहीं होते तो वह चुन कर राज्य सभा, लोक सभा और विधान सभाओं में कैसे आते । तो उनका प्रभाव समाज पर है । राजनैतिक दलों का प्रभाव समाज पर है और समाज से वह चुन कर आते हैं । यह सिद्ध करता है कि समाज को बदलने की शक्ति राजनैतिक दल रखता है, लेकिन वह इस्तेमाल नहीं कर रहा है, सिर्फ गवर्नमेंट को कोस रहा है, यही एक साधन बना लिया है ।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अनटचेबिलिटी के संबंध में 1955 में जो ऐक्ट बना, उसका 1964 तक जो फिगर आया है, उसमें देखेंगे कि 4,540 केसेज दर्ज हुए अनटचेबिलिटी के, जिनमें से 1,055 में सजा हुई । तो 1,055 में सजा हुई, कुछ रिहा हुए, कुछ के मुकदमें चलते रहे । इधर के फिगर्स नहीं हैं । यह भी सिद्ध करता है कि अभी अनटचेबिलिटी, छूतपन, बहुत व्यापक रूप से समाज में कायम है । यह थोड़ा फिगर आपने दिया, क्योंकि एक सर्वे हुआ यू० पी० के सीतापुर डिसट्रिक्ट का, उसमें बताया गया कि 100 में कितने लोग अनटचेबिलिटी ऐक्ट को जानते हैं । तो सर्वे से मालूम हुआ कि 100 में से 32 जानते हैं । इसका मतलब यह है कि 100 में से 68 जनता अभी अनटचेबिलिटी ऐक्ट के बारे में जानती नहीं है । इसलिए उसके बारे में प्रचार का ध्यान रखना चाहिए; क्योंकि अगर 100 में 32 के जानने से

इतने केसेज होते हैं, तो 100 प्रतिशत लोग जान जायेंगे तो बहुत अधिक केसेज होंगे।

अब आप देखें कि हरिजनों की आबादी 8 से 10 करोड़ है। लेकिन अगर आप विचार करें तो स्कालरशिप जो वितरित हुई तृतीय पंचवर्षीय योजना तक वह कितनी हुई? कुल खर्चा हुआ है 2,352.83 लाख रु०। इसको हम सालाना खर्च के हिसाब से 156 लाख रु० 10 करोड़ की आबादी के लिये मान लें तो प्रति व्यक्ति खर्च हुआ करीब 15 नया पैसा। इसलिए यह आंकड़ा सिद्ध करता है कि बहुत काफी रकम खर्च नहीं हुई, यही कारण है कि पूरी की की पूरी परिगणित जाति उन्नति नहीं कर सकी। इसको तो अगर युद्ध के पैमाने पर, वार फुटिंग पर आप खर्च करें तब समाज से यह कोढ़ दूर हो सकता है। एक सबसे बड़ी बात यह है—एक फिगर मैं आपको बता रहा हूं—कि पोस्ट मैट्रिकुलेट छात्रवृत्ति के लिये जो 80,506 एप्लीकेशन्स आई, उसमें से 4,615 एप्लीकेशन्स को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया 4,615 लड़कों को छात्रवृत्तियां नहीं दी ...

श्री के० एस० चावडा : अब तो भारत सरकार ने यह भी स्टेटों पर छोड़ दिया है, पोस्ट मैट्रिकुलेट मामला भी।

श्री महावीर दास : यह भारत सरकार की ही नहीं, यह जवाबदेही स्टेट सरकार की भी है और यह जवाबदेही गुजरात पर भी आती है। वहां पर भी ये सब खामियां मौजूद हैं। मैं यह कहता हूं कि समूचे भारतवर्ष की स्टेट्स जहां इस मामले में दायित्व रखती है, वहां गुजरात भी एक है और वहां की भी हमारे पास रिपोर्ट है और स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।

आप देखेंगे कि 1966 से लेकर 1968 की रिपोर्ट्स पर हम आज विचार कर रहे हैं। वह समय बीत चुका, बहुत पीछे चला गया और हम विचार कर रहे हैं। हम तो आग्रह करेंगे माननीय मंत्री महोदय से कि हर एक साल की रिपोर्ट पर तत्काल बहस हो जाये, इतनी ज्यादा देरी होनी ही नहीं चाहिये, जितनी हुई है। यह वास्तव में इतने पीछे हम चले जाते हैं कि हम विचार करने के मूड में नहीं रहते और आजकल की बदलती हुई परिस्थिति में, जब कि बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया है, अगर हमारे सामने 1969-70 की रिपोर्ट जांचने के लिए आए, तो हम कुछ राय दे सकते हैं, लेकिन वह 1969-70 की रिपोर्ट आई नहीं है। अभी पिछले 3 वर्षों की रिपोर्ट हमारे सामने है।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हर साल की रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की जानी चाहिए। अगर वे एक वर्ष की रिपोर्ट दिया करेंगे तो सदन के मेम्बरों को बहस करने में सुविधा होगी और जो वर्तमान उपलब्धियां हैं या दिक्कतें हैं उस पर हम विचार कर सकें और सलाह दे सकें। अगर हम इतनी पीछे की रिपोर्ट पर विचार करेंगे तो हम उन्हें कोई उचित सुझाव नहीं दे सकेंगे। हम इस समय 68 और 69 की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं और मंत्री जी 1969 और 1970 की उपलब्धियां के संबंध में बतलायेंगे कि इस अवधि में इतना काम हुआ है, हमने यह अच्छा काम किया है। लेकिन रिपोर्ट हमारे सामने न होने की वजह से हम उस पर कोई राय नहीं दे सकते है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हर साल की रिपोर्ट हमारे सामने आनी चाहिए।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप 1968-1969 की रिपोर्ट देखें तो आपको पता लगेगा कि सेन्ट्रल सेक्टर में अजीब बात हुई है। मध्य प्रदेश और तामिल नाडु को छोड़ कर किसी भी राज्य ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। यह क्या बात है कि सेन्ट्रल सेक्टर में सिर्फ मध्य प्रदेश और तामिलनाडु को छोड़ कर किसी और प्रदेश में खर्च क्यों नहीं हुआ। केवल मध्य प्रदेश और तामिल नाडु का ही सेन्ट्रल सेक्टर में खर्चा दिखलाया गया है और किसी स्टेट में नहीं दिखलाया गया है। यह केन्द्रीय सरकार को देखना चाहिये कि हमें सब स्टेट्स में उन्नति करनी है। अगर किसी स्टेट में चाहे वह यू० पी० हो, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, वहां पर किस तरह से छुआछूत की समस्या है कि वहां पर हरिजनों के उत्थान के लिये क्या-क्या किया गया है, यह सब बातें केन्द्रीय सरकार को देखनी है। अगर वह सेन्ट्रल सेक्टर से किसी भी स्टेट को इस संबंध में एक भी पैसा देती है, तो उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह वहां के काम की देखभाल करे। जहां तक सेंट्रल सेक्टर द्वारा मदद का सवाल है, यह सब स्टेट्स को मिलना चाहिये। इसका क्या अर्थ है कि कुछ ही स्टेट को इस तरह की मदद मिले और दूसरे स्टेट्स को नहीं मिले, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सब स्टेट्स को इस तरह की सहायता मिलनी चाहिये।

[श्री महावीर दास]

बेकार हरिजनों की संख्या 31-12-68 को 3 लाख 46 हजार 409 थी। आदिवासियों की 61 हजार 50 थी। यह संख्या तो 1968 की थी और 1969-70 में तो और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। जो लैन्डलैस लेबरर्स हैं उनकी संख्या एक करोड़ से ज्यादा है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 8.9 करोड़ आबादी वालों में जब इतने लोगों में बेकारी है तो यह एक बड़ा सोचनीय विषय है। आप इन हरिजनों के बच्चों को स्कालरशिप देते हैं, मुफ्त शिक्षा देते हैं, किताबों की सुविधाएं देते है, स्कूल में इंजीनियरिंग की शिक्षा देते हैं, डाक्टरी की शिक्षा देते हैं, बी० ए० की शिक्षा देते हैं, एम० ए० की शिक्षा देते हैं और इतनी शिक्षा देने के बाद भी उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती है और वे लोग बेकार रहते हैं। इस तरह की जो बात हो रही है वह एक बहुत ही खतरनाक बात हो रही है और यह बात सरकार को और देश को मुश्किल में डाल देगी। सरकार को इस संबंध में सावधान हो जाना चाहिये। आप जिन लोगों की पढ़ाई में इतना खर्चा लगाते हैं और उनको रिहैबिलिएट नहीं करेंगे तो यह एक गलत चीज होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि उनको माता पिता तो उनको पढ़ा नहीं सकते हैं। आप उन लोगों को इस लिए रुपया देते हैं ताकि वे पढ़ सकें और पढ़ने के बाद नौकरी पा सकें, रोजगार में लग जायें, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि आज हजारों की संख्या में इस तरह के लोग बेकार हैं।

आज हालत यह हो गई है कि हम लोगों के पास हजारों की संख्या में इस तरह के लोगों के पत्र आते हैं कि हमें नौकरी दिलाई जाय। जब हम इन पत्रों को और उन लोगों की दरख्वास्तों को मिनिस्टर के पास भेजते हैं या सरकारी आफिसरों को देते हैं तो वे कहते हैं कि पब्लिक सर्विस कमिशन में जाइये, फलों फलों जगह हो रही है उसमें एप्लाई कीजिये। जब वहां पर एप्लाई किया जाता है और इम्तहान में बैठाया जाता है तो नतीजा यह निकलता है कि उसमें नहीं निकले; क्यों नहीं निकले ? क्योंकि कम्पीटिशन में नहीं निकल सके और इन्टरव्यू में फेल हो गये। मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री में कुछ रिजर्व सीट्स हरिजनों के लिए है। उस लेक्चरार की रिजर्व सीट के लिए एक उम्मीदवार जो कि पर्शियन में एम० ए० है, वह एप्लाई करता है। यह एक बैकवर्ड उम्मीदवार है जो कि हरिजन है और जो पर्शियन में एम० ए० है। वह बराबर इस जगह के लिए एप्लाई करता है, लेकिन उसको जवाब मिलता है कि वह कम्पीटेन्ट नहीं है। यह एक बड़ा मुश्किल सवाल है कि जब एक उम्मीदवार जो कि पर्शियन में एम० ए० है और जिसको 7, 8, 10 क्लास को पढ़ाना है, उसको इस जगह के लिए कम्पीटेन्ट नहीं समझा गया। होम मिनिस्ट्री से बार-बार प्रार्थना की गई कि ऐडहाक बेसिस पर उस उम्मीदवार को एपाइन्टमेंट कर दिया जाय क्योंकि यह एक हरिजन उम्मीदवार है जो कि पर्शियन में एम० ए० है। अब यह होम मिनिस्ट्री का काम हो जाता है कि वह इस तरह के केसेज के बारे में देखभाल करे और ऐडहाक बेसिस पर उसका एपान्टमेंट किया जाय। भविष्य में भी इस तरह की बातों के बारे में उसको सतर्क रहना चाहिये।

मैं आपको सीधी तरह से कह रहा हूं। इस बारे में बहुत पत्र-व्यवहार किया है, फिर भी सफलता नहीं प्राप्त हुई है। होम मिनिस्ट्री बार-बार लिखती है कि डिरिजर्व नहीं होगा, ऐडहाक एपाइन्ट करो, लेकिन वे नहीं करते हैं। एक पर्शियन में एम० ए० हुआ है...

श्री महेश्वर नाथ कौल : पुरानी कहावत है, "पढ़े फारसी बेचे तेल"।

श्री महाबीर दास : जी हां, बिलकुल ऐसे ही है "पढ़े फारसी बेचें तेल, ये देखो कुदरत के खेल"। एक हरिजन, एम० ए० पर्शियन में करा है, लेकिन उसका एपाइन्टमेंट नहीं होता। एक डाक्टर गया फारेन, बिहार की कहानी है। वह दरभंगा का रहने वाला है, वहां से डिग्री लेकर आया है, अभी तक उसकी नियुक्ति नहीं

हुई। यह सब ऐसा नमूना है जो मैं आपके सामने इसलिए ध्यान में लाना चाहता हूं, क्योंकि यह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम है कि वह देखे कि उसका काम एफेक्टिव हो। अगर पढ़ा पढ़ा कर आप बेकार बनाते रहे तो सोशल वेलफेयर का रुपया जाया जायगा, न तो वह घाट का रहेगा, न घर का ही, न वह मजदूरी कर सकता है, न बोझा ढो सकता है, न कुली-कबाड़ी का काम कर सकता है, आपने उसे पढ़ा लिखा कर बेकार बना दिया। नतीजा जो हो रहा है वह आप देख रहे हैं, देखते रहेंगे। इसलिए रिहैबिलिटेशन और किसी का हो न हो, पढ़े लिखे-हरिजनों का होना आवश्यक है, अगर आप पढ़ाना चाहते हैं।

श्री महेश्वर नाथ कौल : यह बाकियों को भी एप्लाई करता है।

श्री महावीर दास : यह सभी को एप्लाई करता है, लेकिन अभी मैं हरिजनों के बारे में बोल रहा हूं।

मैं आपको दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की बात कहता हूं। 1955 में क्लास वन में 19 पद थे, 1964 में 95 हो गए, एक भी हरिजन नहीं है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर, जो आपके कन्ट्रोल के अन्दर है। इसको देखिए, इसको विचारिए।

मैं आपका ध्यान एक और बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जो सबसे इम्पार्टेन्ट है। राज्य सरकारों ने मिल कर जितना खर्च किया, वह 1,056.92 लाख रुपए था। 1968–69 में 1,176.74 लाख रुपए खर्च किए गए। ऊपर जो मैंने खर्च बताया वह आदिवासियों के सम्बन्ध में खर्च हुआ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासियों से हरिजनों की संख्या अधिक है और उनकी समस्याएं अधिक हैं। छुआ-छूत को लेकर हरिजनों का समाज में स्थान नहीं है। आदिवासियों के सामने छुआ छूत का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी खर्चा कितना हुआ। 1967-68 में 959.02 लाख रुपए खर्च हुए, 1968–69 में 1,056.92 लाख रुपए खर्च हुए। इससे प्रगट होगा कि जिनकी संख्या कम उन पर ज्यादा खर्च और जिनकी संख्या ज्यादा, जिनको समाज में दिक्कत ज्यादा उठानी पड़ती है, उन पर रुपया कम खर्च हुआ। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह बात ठीक नहीं है। आप विचार कीजिए। अभी आपको प्रिवी पर्स से बहुत रुपए मिलने वाले हैं। उन रुपयों से इस रकम को कम से कम दुगुना कर दीजिए। आप कहेंगे कि रुपया नहीं है, इसलिए मैं सोर्स बता रहा हूं।

श्री महेश्वर नाथ कौल : प्रिवी पर्स का भरोसा न करिए, न मालूम क्या हो।

श्री महावीर दास : जब सरकार ने कदम उठा लिया है और वह पीछे हटेगी तो वह ठीक नहीं है। यह सरकार ऐसी नहीं है कि जो कदम आगे बढ़ चुका है, वह पीछे लौटे। इसलिए मैं कहूंगा कि इन रुपयों का सदुपयोग होगा, अगर हरिजनों की ग्रान्ट दुगुनी कर दी जाय ताकि उनकी उन्नति हो सके। गांधी जी ने कहा था :

> "I shall work fur India in which the poorest shall think that it is tlieir counlry in whose making they have effective voice, an India in which there shall be no high class or low class ol people."

मेरे कहने का मतलब यह है कि सिद्धांत तो यही है, अपना संविधान भी यही है, हम गांधी जी के सिद्धांत पर चल रहे हैं, लेकिन यह विशेष रूप से परिस्थिति हो गई है और यह परिस्थिति सदियों से चली आ रही है। इसलिये आपको इस काम के लिये अलग विचार करना पड़ता है, उनकी उन्नति के लिये अलग विचार करना पड़ता है। मेरी राय यह है कि अगर मेरा बस चले तो मैं यह चाहूंगा कि निःशुल्क शिक्षा सब की होनी चाहिये। आज काश्मीर का उदाहरण हमारे सामने है। फिर भी समूचे भारतवर्ष में निःशुल्क शिक्षा क्यों नहीं हो सकती है। आज हरिजनों को कोसा जाता है कि तुम को निःशुल्क पढ़ाते हैं। मैं कहता हूं कि सब को निःशुल्क पढ़ाओ।

[श्री महावीर दास]
सबको निःशुल्क शिक्षा दो, सबको निःशुल्क चिकित्सा दो, सब को निःशुल्क न्याय दो। यही सिद्धांत लोकतंत्र को सफल बना सकता है।

मैं मिनिस्टर साहब का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली के कालेजों में हरिजन लड़कों से फीस ली जाती है। जो गवर्नमेंट का हस्तिनापुर कालेज है, उसमें भी लड़कों से फीस ली जाती है। श्रीनगर में सबके लिये अप टू एम० ए० शिक्षा फ्री है, लेकिन यहां हरिजनों को भी फीस देनी पड़ती है। ऐसा कायदा है कि पांच सौ रुपया जिसकी आमदनी है, उसके बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। आप देखिये कि आज पांच सौ का मूल्य ही क्या है। पुराने 50 रुपये से भी कम मूल्य आज पांच सौ रुपये का है। फिर भी 500 रुपये पाने वाले आदमी को पता है कि उसके बच्चे को स्कालरशिप नहीं मिलेगी और उसको फीस भी देनी पड़ेगी। आप केवल निःशुल्क-निःशुल्क ही बोलते हैं, लेकिन कालेजों में निःशुल्क शिक्षा नहीं है। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि आज कालेजों में निःशुल्क शिक्षा नहीं है। अगर आप अपने जवाब में कहें कि निःशुल्क शिक्षा है, तो मैं आपको रसीद लाकर दे दूंगा। मैं आपसे कहता हूं कि आपने 500 रुपये तक जो सीमा बांध रखी है, अगर आप उसको रखना ही चाहते हैं, तो आप उसको बढ़ा कर 2,000 रुपये कर दीजिए। 2,000 रुपये जिस हरिजन को मिलते हैं उसके लड़के को यदि आप स्कालरशिप न दे तो ठीक है। लेकिन 500 रुपये की जो सीमा रखी गई है, वो उचित नहीं जंचती है। 500 रुपये की सीमा एकदम ठीक नहीं है। 500 रुपये में कोई अपने दो-तीन लड़कों को पढ़ा नहीं सकता है।

श्री महेश्वर नाथ कौल : जो झूठे हरिजन बन जाते हैं और स्कालरशिप ले लेते हैं, उनके लिए क्या किया जाये?

श्री महावीर दास : एक बात अंतिम यह है कि बहुत सी जातियों के लोग आज झूठे हरिजन बन रहे हैं। एक पासी कौम है, जिसकी स्पेलिंग पी ए एस आई है और वो लोग हरिजन हैं। एक कौम और है जिसकी स्पेलिंग पीए एस आई है और वो लोग हरिजन नहीं है, लेकिन वह पासी लिख कर के हरिजनों का फायदा उठा रहे हैं। जो पासी हरिजन नहीं हैं, उनके ऊंचे ऊंचे लोग दोस्त हैं और वह कह देते हैं कि तुम पी ए एस आई लिख करके लाओ तो हम तुमको हरिजनों के एडवांटेजेज दिलवा देंगे। आप इसकी इन्क्वायरी करवाइये। फिर आपको मालूम होगा कि पी ए एस आई जो हैं, वह हरिजन हैं और पी ए एस एस आई जो हैं, वह हरिजन नहीं है।

एक बात मैं और कह दूं, पंजाब में कबीर पंथी हरिजन है, यह बिलकुल ठीक है। लेकिन दूसरी जगहों के सवर्ण जो कबीर पंथी धर्म के मानने वाले हैं, वह अपने को कबीर पंथी लिख करके हरिजनों के एडवांटेज ले लेते हैं।

श्री महेश्वर नाथ कौल : मेम्बरों से लिखवा लेते हैं।

श्री महावीर दास : मैं आपका ध्यान इसलिए इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इनके डिपार्टमेंट सब जगह छाये हुए हैं। आजकल कास्ट सर्टिफिकेट एम० एल० ए० और एम० पी० नहीं देते हैं, बल्कि एस०डी०ओ०, कलैक्टर और डिप्टी कमिश्नर ही देते हैं। इन लोगों ने एम० एल० एज० और एम० पीज० की पावर्स को छीन लिया है।

श्री महेश्वर नाथ कौल : पहले तो एम० पी० का माना जाता था।

श्री उपसभापति : आप कितना समय और लेंगे?

श्री महावीर दास : मैं खत्म कर रहा हूं। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस तरफ भी आप ध्यान दें ताकि हरिजनों पर वास्तव में जो रुपया खर्च किया जाता है वह ठीक-ठीक लोगों को मिल सके और दूसरे लोग उसका नाजायज फायदा न उठा सकें।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया । मैं कुछ समय और चाहता था, लेकिन अब किसी दूसरे विषय पर बोलूंगा ।

SHRI K. S. CHAVDA : Mr. Deputy Chairman, Sir, one of the fundamental rights in the Constitution is the right to life and personal liberty. Therefore, at the outset I would like to draw the attentions of the Home Ministry to two assurance given by the Prime Minister on the floor of this House in the last session. Regarding the statement of the Government in reply to Question No. 447 by Shri Pranab Kumar Mukherjee on the 18th August, 1970, that 1,112 persons belonging to the Scheduled Castes were murdered in the country in 1967, 1968 and 1969, when the Prime Minister said that some of the murders were committed by the Harijans, there were interruptions form some hon. Members including me that it was not a fact. I said, "If it is a fact, the Government should quote the figures. Two ways are open for this. If they say that it is a fact, then they should give the figures before the House as to how many Harijans were accused in these cases." Though an assurance was given by the Prime Minister on the floor of the House that the correct information would be supplied to the House, it has not been implemented up till now. Secondly, I asked—I quote from the proceedings.

> "Sir, the attention of the Government was drawn in the last session and in this session also. So my queston is what has been done in regard to the incident where a Harijan girl was burnt alive by caste Hindus in Madhya Pradesh?"

Then the Prime Minister said on the floor of the House,

> "As far as the question of a Harijan girl being killed is concerned, I shall look into it and I shall inform you because I am not fully aware of it."

This assurance also has not been implemented. I would like to know how much time the Prime Minister who happens to be the Home Minister also will take to ascertain the facts and to make a statement in the House.

Sir, this is the third session after the (juration was raised in this House. This is an insult to this honourable House because nothing lias come out from the Home Ministry. This shows that the Union Government is not serious about preventing the gruesome murders in this country. The Prime Minister who is the Home Minister should come and make a statement in this House regarding these two points and also regarding the steps taken or are proposed to be taken for stopping these attacks on the Harijans. We are discussing all the three reports together which never happened in the past < (he discussion of the first report of the Commissioner for .Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 1951. Moreover, we are also report of the Elayaperumal Committee. The Commissioner's report is an annual one and i; should be discussed annually. It is meaningless and useless to discuss all the four reports at a time. Does it show the progressiveness of the present Government ? I ask.

SHRI OM MEHTA : Last year you wre also pari of the Government.

SHRI K. S. CHAYDA : Alter the split you should have discussed two reports, but only one was there. The split took place in August 1969 and after that should have discussed two reports,

SHRI OM MEHTA : Your other colleagues took a lot of time for other things.

SHRI K. S. CHAYDA : No. you *m* moved the Business Advisory Committee that this report should be taken up for discussion. Have you ever moved it? If you had done thai, then you would had every right to say like this. But you never did. So that is no; correct. I arri talking about the period after 1969. That is why I said that aftet the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 1951. was discussed, nothing has happened in this House on these reports. And now we are discussing all these four reports together.

SHRI T. V. ANANDAN (TamilNadu) : They are interested in toppling the Government.-

SHRI OM MEHTA : You have put it rightly. Thank you very much.

SHRI K. S. CHAVDA : Yes, that is correct.

The report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes costs Hie Government nearly Rs. one million every year. Then, what is the use of spending public money if the report is not discussed in time? This is our chronic complaint and the honourable Minister should assure the House that these reports will be discussed every year without fail and that under no circumstances will they be postponed to the following year.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI JAGANNATH RAO): May I submi t that the delay is not because the Ministry is not interested in discussing the report every year? This House is well aware that a Parliamentary Committee has been appointed and that Parliamentary Committee has to review the reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes every year and their reports are to be laid on the Table of the House, and then only we have to take action. That is the reason why all these three reports are being discussed together.

SHRI K. S. CHAVDA : No, the honourable Minister is misleading the House, I am a member of that Committee. I know that. It is not the case. It is a lame excuse..

Sir, this is the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes under Art. 338 of the Constitution. This is not the report of all the backward classes.

SHRI JAGANNATH RAO : I do not say

SHRI KS. CHAVDA : You are reducing the size of the report every year.

श्री ओम् मेहता : बोलो, बोलो ।

SHRI K. S. CHAVDA : You are not the Chairman, though you arc a Minister, You are intervening unnecessarily.

SHRI CHITTA BASU : He may be a Minister but not the Chairman.

SHRI K. S. CHAVDA : Yes, that is what I said. He has to behave.

This is not ihe report of all the backward classes. Why do you include nomadic tribe, the semi-nomadic tribe, and the de-notified tribe in the Commissioner's report.

SHRI JAGANNATH RAO : We arc in charge of the whole thing.

SHRI K. S. CHAVDA: Under the Constitution Schedule Castes and Scheduled Tribes are specified by the President—under Aticles 341 and 342 respectively. The President has not certified up till now any other community as backward classes under clause (1) of Article 340. these things should be taken note of . It is therefore, unconstitutional to mention all these classes in the report.

After the split of the Congress, the ruling party that the Centre has been speaking a lot about the welfare of the weaker sections in general and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in particular. But there is a wide gap betwen the preaching and the practice. For example, no provision has been made in the fourth Five Year Plan for housing the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, even though they are still living in the outskirts of villages and in the slums in the cities. Government have set up a Housing and Urban Development Finance Corporation with a revolving fund of Rs. 200 crores. But these peop will not be in a position to take advantage of this Corporation because the rates of interest are very, very high. Therefore, this Corporation is meant only for well-to-do people and not for the weaker sections or the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I would like to make one suggestion regarding the housing si me for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There was a reconstruction scheme-Scheme 2ig~in the former State of Bombay consisting of Maharashtra, Gujarat and some portio . ol Mysore, when the former Deputy Prime Minister, Shri Morarji Bhai Desai was the Chief Minister of Bombay.

AN HON. MEMBER : What has he done?

SHRI K. S. CHAVDA : He has done much more than anybody else in India, I am giving you a practical example of what he has done. He is a socialist in action. I am just giving you an example of what he has done, . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : How long will you tike to complete your speech?

SHRI K. S. GHAVDA : I have just started.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : No, you have taken nearly 15 minutes.

SHRI K. S. CHAVDA : I will take a little more tii ic.

yMR . DEPl TY CHAIRMAN : If ou are likely to take....

SHRI K. S. CHAVDA : You know about my Party's time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Then you can continue your speech tomorrow.

SHRI K. S. CHAVDA : All right.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 11 A. M. tomorrow.

The House then adjourned at five of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 10th November, 1970.

भा० स० मु०—से० 3—56 राज्य सभा।70—4-3-71—570